

फद अहकाम

तेजपाल बनाम श्री. शारदाका रीटोन

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अम्नेर

संख्या 12/2024 मुख्यालय-जयपुर

(डी. आर. ए.)

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/11/24	<p>पत्रावली पेशा डक अधिवक्तागण उम्पदसु उपस्थित वरुस प्राप्तिनामा डी. आर. ए. सुनी गई।</p> <p>उम्पदसुकारान की वरुस के लक्ष्यो पर गनन किया व पत्रावली का गौप्यवर्तु कवलीकरण किया। पत्रावली के कवलीकरण व नपुसु के समुदा विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पार्थी द्वारा आलीपल मुमि क्रान्तव. नं. 1583 व 1586 सहकोतकारील की मुमि है। जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। जिससे यह उभाणित नहीं होता है कि उक्त मुमि पार्थी की विधिक अधिकांश की कवलीकरण की मुमि है ना ही पार्थी द्वारा रसी कोड मान्य रिपोर्ट कथवा श्रीमन्मन रिपोर्ट कथवा परवारी गौप्य रिपोर्ट काकि भी प्रस्तुत नहीं की। अतः जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपार्थीगण द्वारा किया जा रहा खपनन कार्य पार्थी की उक्त अधिकांशत कवलीकरण मुमि की सीमा में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पार्थी द्वारा ऐसा भी कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह उभाणित/विधि करता है कि अपार्थीगण द्वारा किया जा रहा कार्य अधिकांश स्व से किया जा रहा है जबकि अपार्थीगण द्वारा खपनन कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकांश के अन्तर्गत राज्य सरकार से विधिक व निपमागुलार अनुमति लेकर अपनी विशिष्ट खपनन प्रस्तावना मुमि परूखणन कार्य किया गया वताया गया है तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से जारी प्रस्ताव व अनुमति का स्पष्ट रूप से उल्लेख की किया गया है। जिसका कवलीकरण के संदर्भ में कोई खपनन कथवा श्री-प्रकार</p>	



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अम्नेर
 मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं. : 12/2024

निर्णय दिनांक 29.11.2024

1. तेजपाल पुत्र काना रैगर
निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शाकम्भरी स्टोन केशर 108 वैशाली नगर जयपुर जरिये प्रोपराईटर।
2. तुलसी खेमेवाला पत्नी सुरेश कुमार
निवासी 268, मीणों का मौहल्ला, पुराना सामोद, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. परवीन आर्य पत्नी विशुपाल
निवासी 50, इनकम टैक्स कॉलोनी, वार्ड नम्बर 21, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. कृष्णा स्टोन केशर बिलौची जरिये प्रोपराईटर सुरेश कुमार खेमेवाला
निवासी 268, मीणों का मौहल्ला, पुराना सामोद, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

नाथू पुत्र कालू जाति रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रारूपिक अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदनलाल कूडी, श्री गोपाल बाना
उपस्थित :- अधिवक्ता अप्रार्थी श्री हेमराज भदाला, कैलाश वागडा

निर्णय

प्रार्थी वादी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1376, 1377, 1384, 1384/1, 1385, 1385/1, 1386 लगायत 1391, 1391/1, 1392, 1393, 1539 लगायत 1541, 1541/1 1542, 1545, 1578, 1579, 1583, 1586 कुल खसरा किता 25 कुल रकबा 7.15 है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 6 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वर्णित सम्पूर्ण खसरा नं. की आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 ने अपनी सहमति अनुसार आपसी मनबट से बटवारा कर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिसमें भूमि ख.नं. 1583 रकबा 0.73 है., खसरा नं. 1586 रकबा 0.72 है. सम्पूर्ण प्रार्थी के कब्जेकाश्त में है। जिस पर प्रार्थी अपना निवास पुख्ता मकान के रूप में बनाकर निवास कर रहा है तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 6 अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नं. पर काबिज काश्त एवं निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जेकाश्त की उपरोक्त भूमि खसरा नं. 1583 व 1586 पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 अवैध रूप से खनन करने पर आमादा है। दिनांक 07.03.2024 को उक्त अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की काबिज काश्त उक्त खसरा नं. 1583 व 1586 पर मौके पर आये तथा मौके पर जे.सी.बी. मशीन सं


द्वारा राज्य सरकार से प्रावधानों के अन्तर्गत माईनिंग लीज नम्बर 377/96, 376/96 द्वारा खनन हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है। जिसके अन्तर्गत व अनुसार ही अप्रार्थीगण द्वारा अपनी पट्टेशुदा विशिष्ट भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी अथवा खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की विशिष्ट भूमि पर कभी कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है एवं ना ही प्रार्थी को कभी किसी भी प्रकार से बेदखल करने का प्रयास किया गया है, जबकि वास्तविकता अनुसार तो प्रार्थी द्वारा उल्लेखित स्वयं की सह खातेदारिता मात्र की भूमि का प्रार्थी व अन्य सहखातेदार अप्रार्थी सं. 6 के मध्य विधिक विभाजन ही नहीं हुआ है। जिसकी भूमि अप्रार्थीगण की विशिष्ट अनुमति की खनन पट्टेशुदा भूमि व प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि के मध्य स्थित है। जिससे प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप करने का कोई आधार ही नहीं है। फिर भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 6 से मिलीभगत कर मात्र वादकारण लेने के लिहाज से मनगढंत घटना अंकित की गई है तथा मात्र अप्रार्थीगण को परेशान व कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के लिहाज से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा कोई व्यवधान अथवा अविधिक कार्य कभी भी प्रार्थी की भूमि में किया जाने के बाबत पूर्व में कभी कोई कार्यवाही प्रार्थी द्वारा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मात्र विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति के अन्तर्गत अप्रार्थीगण द्वारा अपनी विशिष्ट पट्टेशुदा भूमि के खनन कार्य को प्रभावित करने मात्र के कुत्सित उद्देश्य मात्र से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि स्पष्ट रूप से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र (टी.आई) में उल्लेखित तथ्यों के समान तथ्यों के आधार पर ही समान ही पक्षकारान के ही विरुद्ध तथा समान ही अनुतोष का एक समान उनवानी वाद मय प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बउनवानी तेजपाल बनाम मैसर्स शाकम्भरी व अन्य के रूप में पूर्व में भी दिनांक 05.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था। जिसके क्रम में प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान की विधिवत पूर्णत सुनवाई उपरान्त दिनांक 02.03.2021 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए पुनः समान तथ्यों पर वाद मय प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत कर दिया गया है जो तथ्यों के दृष्टिगत खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लेखित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1583 व 1586 सहखातेदारिता की भूमि है। जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त भूमि प्रार्थी की विधिक अधिकारिता की कब्जाकाशत की भूमि है, ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई मान्य रिपोर्ट अथवा सीमाज्ञान रिपोर्ट अथवा पटवारी मौका रिपोर्ट आदि भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा खनन कार्य प्रार्थी की उक्त तथाकथित कब्जाकाशत भूमि की सीमा में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा ऐसा भी कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह प्रमाणित/सिद्ध करता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा कार्य अविधिक रूप से

किया जा रहा है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा खनन कार्य हेतु संबंधित स्थापित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से विधिवत व नियमानुसार अनुमति लेकर अपनी विशिष्ट खनन पट्टाशुदा भूमि पर खनन कार्य किया जाना बताया गया है तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से जारी पट्टा सं. व अनुमति का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया गया है। जिसकी वैधता के सन्दर्भ में कोई खण्डन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे सन्देह का कोई पर्याप्त कारण भी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक रूप से अनुमति दी जाकर किये जा रहे विशिष्ट अनुमति के कार्य को मात्र प्रार्थी की अताकिंक व अविधिक आपत्ति मात्र के आधार पर निषेधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, जबकि स्वयं प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन भी नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त भी चूंकि उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के ही संदर्भ में समान ही अप्रार्थीगण के विरुद्ध समान ही अनुतोष का पूर्व में ही प्रार्थी द्वारा एक वाद मय प्रा.पत्र टी.आई अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जो विधिवत सुनवाई अनुसार निर्णीत किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में कोई उच्च आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हुए तथा तथ्यो को छिपाते हुए पुनः प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। जिससे भी प्रस्तुत प्रा.पत्र टी.आई पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः तथ्यो के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस स्तर पर पोषणीय नहीं होने से पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.03.2024 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर
मुख्यालय जयपुर